



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 295 राँची, सोमवार,

23 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

30 मई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-7/2016-30820 (HRMS)--श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-200/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-08/गो०, दिनांक 04.01.2016 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. दिनांक 26.09.2015 को लोहरदगा जिला के कुडू थाना अन्तर्गत ग्राम लावागाई में घटित घटना के विरोध में विश्व हिन्दु परिषद्, बजरंग दल एवं जय श्रीराम समिति द्वारा दिनांक 27.09.2015 को लोहरदगा बन्द के आह्वान के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त, लोहरदगा के आदेश जापांक-944/गो०, दिनांक 26.09.2015 द्वारा निर्गत आदेश के बावजूद मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहकर नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया है ।

2. श्रीमती ब्रजलता बिना किसी सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के दिनांक 27.09.2015 को मुख्यालय से अनुपस्थित रहकर विधि व्यवस्था संधारण एवं सरकारी कार्य को प्रभावित किया है ।

3. श्रीमती ब्रजलता द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा के विधि-व्यवस्था संधारण के लिए आदेश के बावजूद मुख्यालय से अनुपस्थित रहकर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1710, दिनांक 24.02.2016 द्वारा श्रीमती ब्रजलता से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्रीमती ब्रजलता के पत्रांक-78, दिनांक 14.03.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

अपने स्पष्टीकरण में श्रीमती ब्रजलता ने अंकित किया है कि दिनांक 27.09.2015 रविवार को प्रातः तकरीबन सात-आठ बजे उपायुक्त के स्टेनो के SMS से जानकारी मिली कि विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उन्हें कैरो अंचल अन्तर्गत प्रतिनियुक्त किया गया है।

कैरो अंचल अन्तर्गत उन्हें कोई विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं था। जिला स्तर से विधि व्यवस्था संधारण हेतु कोई भी वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया। वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु अनेकों प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हो सका। बन्दी एवं चक्का के कारण कोई किराये का वाहन भी नहीं मिल रहा था। जिला योजना पदाधिकारी से उनके वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्ति के कारण उन्होंने भी वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई। जिला नजारत उप समाहर्ता से भी कोई मदद नहीं मिल सकी। अतः एक अनजान मोटर साइकिल वाले व्यक्ति की मदद से दोपहर लगभग 3 बजे कैरो थाना पहुँची। वहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि जिला योजना पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सम्पूर्ण थाना क्षेत्र की गश्ती कर वापस मुख्यालय लौट चुके हैं।

श्रीमती ब्रजलता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3799, दिनांक 10.05.2016 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-85, दिनांक 18.11.2016 द्वारा अपना मंतव्य दिया गया कि आरोपी पदाधिकारी को विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं था, परन्तु विभागीय वाहन की अनुपलब्धता के कारण विधि व्यवस्था संधारण हेतु समय पर उपलब्ध नहीं होने का पर्याप्त कारण नहीं है।

श्रीमती ब्रजलता पर प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-10895, दिनांक 24.10.2017 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा श्रीमती ब्रजलता से न्यायिक प्रशिक्षण, कोषागार प्रशिक्षण, कम्प्यूटर का बेसिक जानकारी प्राप्त करने संबंधी सूचना की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्रीमती ब्रजलता के पत्र, दिनांक 25.04.2025 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया।

श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके विरुद्ध एक दिन के विधि व्यवस्था संधारण से अनुपस्थित रहने का आरोप गठित है। उक्त अनुपस्थित के संबंध में उनके द्वारा स्पष्टीकरण में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण विलम्ब से कैरो थाना पहुँचने का उल्लेख किया गया है। उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा भी अपने मंतव्य में कहा गया है कि श्रीमती ब्रजलता को विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं था।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती ब्रजलता, झांप्रंसें, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती ब्रजलता, झांप्रंसें एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BRAJ LATA 110001163096	श्रीमती ब्रजलता, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-200/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
